

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -276

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2024-02413

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अरण्य लेक श्योर सिटी", प्रमोटर-अरण्य रियल एस्टेट प्रा.लि., द्वारा-बुद्धेश्वर वर्मा, पता-एस.एफ.-38, समवेत शिखर, रजबंधा मैदान, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" अरण्य लेक श्योर सिटी " पता-बहनाबाड़ी, तह.-आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
21/06/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- अनावेदक श्री बुद्धेश्वर वर्मा उपस्थित ।</p> <p>उनके द्वारा रेरा विनिर्दिष्ट खाता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है ।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध राशि 1,000/- (एक हजार रूपये) शास्ति अधिरोपित की जाती है ।</p> <p>अनावेदक द्वारा शास्ति की राशि 1,000/- (रूपये एक हजार) निर्धारित शीर्ष मद में दिनांक 21.06.2024 को जमा कर चालान की मूल प्रति पेश किया गया । मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करे ।</p> <p>प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया गया । प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे ।</p> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>